अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 27 सन् 2019

हरेन्द्र सिंह.....वादी

बनाम

पवन सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

03.12.2019

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादी के आवेदन दिनांक 30.09.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी द्वारा एक आवेदन आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है जिसमें वादी का कथन है कि कुछ कागजात वादी द्वारा मुकदमे में दाखिल नहीं किया जा सका है जिसका अर्जीदावे में जिक्र होना अति आवश्यक है एवं मरम्मत फर्मल नेचर का है अतः यह अनुरोध किया गया है कि आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

वादी द्वारा अपने आवेदन में उन तथ्यों को जिक्र किया गया है जिसे वे अपने अर्जीदावे में जोड़ना चाहते हैं। वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 18.11.2019 को दाखिल किया गया है

जिसमें उनका कथन है कि वादी का संशोधन आवेदन स्वीकृत योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह गलत बयान किया है कि कागजातों का जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने मुकदमे में दर्ज नहीं किया जा सका, जबकि वादी द्वारा जानबूझकर उक्त खेसरा सं0 490 के संदर्भ में कोई जिक नहीं किया गया है और उस खेसरा सं0 490 की भूमि पर पूर्व से ही प्रतिवादी सं0 1 का दो मंजिला मकान अवस्थित है जिस मकान में प्रतिवादी सं0 1 सपरिवार काफी पहले से निवास करते रहे हैं और यदि उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो इससे मुकदमे का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा और वादी का कहना है कि उक्त मकान में सभी परिकेनों का हिस्सा है, बिल्कुल गलत है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाता है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान वाद में अभी वाद बिन्दु का निर्धारण नहीं हुआ है और वाद अभी विचारण की प्रारंभिक अवस्था में है और वादी द्वारा जो संशोधन करने हेतु आवेदन दिया गया है वह फर्मल नेचर का है और इससे मुकदमे की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः वादी के आवेदन को 400/– खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05.12.2019

सब जज

सोनपुर सारण।